न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 34/2005 G.C.M.S. No. 2005/00007 दर्ज दिनांक : 13.05.2005

अपीलार्थी:

1. दलीया पुत्र आसु, जाति रजपूत, साकिन काणदरा, तहसील पाली व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थी:

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली साकिन पाली, तहसील पाली व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/1998 बअनवान दलीया बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2005

पैरोकार–

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 27.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/1998 बअनवान दलीया बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2005 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 306 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा किस्म बारानी मौजा काणदरा (कान्दरा) तहसील पाली में स्थित है जिस कृषि भूमि पर अपीलांट का मुखालफाना कब्जा काश्त लगातार शांतिपूर्वक, बिना रोक टोक, खुल्लम खुल्ला बतौर हक विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट संवत 2020 से रहा होने से अपीलांट ने विरूद्ध रेस्पोडेन्ट राजस्व वाद हस्ब हदफा 88, 91 आर टी ए 1955 के तहत अदालत मातेहत के समक्ष पेश किया था जिसका जवाबदावा रेस्पोडेन्ट ने झूठ कथन करते हुये पेश किया जिस की पर बाद तनकियात एंव शहादत अपीलांट मय उसके गवाहान लेकर एवं बाद बयान प्रतिवादी के रेस्पोडेन्ट की तरफ से लेकर बाद बहस अदालत मातेहत ने फैसला एवं डिक्री दिनांक 18–3–2005 के जरिये अपीलान्ट के वाद पत्र को सिद्ध नहीं मानते हुये खारिज करने में अदालत मातहत ने कानूनी एवं वाक्याती गम्भीर भूल की हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 306 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म बारानी मौजा काणदरा तहसील पाली की आराजी अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि 7 बीघा 8 बिस्वा से चिपती एक ही चक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में हैं। जिस पर अपीलान्ट मुखालफाना का संवत 2020 से आज तक लगातार कब्जा काश्त करीब 42 वर्षों से हैं। जिससे अपीलान्ट को बेदखल कर वंचित करना उचित एवं न्यायोचित नहीं हैं। जिससे भी उक्त 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि निस्बत निर्णय व डिक्री बहक अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोंडेन्ट सादिर फरमाना लाजमी हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2005 द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.05.2005 को अंदर म्याद प्रस्तुत की।

2. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर संवत 2020 से वादी का कब्जाकाश्त होने अर्थात एडवर्स पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध राजकीय सिवायचक वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक कायम किए गए एवं उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रियागत विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। वस्तुतः प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित दोनों तनकीयात में से प्रथम तनकीयात वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2020 से वादी का कब्जाकाश्त होने से वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी होने तथा तनकीयात संख्या 2 वादग्रस्त आराजी नगर परिषद पाली की पैरीफेरी सीमा में स्थित सिवायचक आराजी खसरा संख्या 306 कुल रकबा 85–06 बीघा का भाग होने एवं अतिक्रमी होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से संबंधित है। जिसमें से विवाद्यक संख्या 1 वादी के जिम्मे व तथा विवाद्यक संख्या 2 प्रतिवादी के जिम्मे रखी गई। उक्त दोनों विवाद्यक सारवान रूप से परस्पर अंतर्संबंधित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3. यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजीयात नगर परिषद पाली की सीमा में स्थित सिवायचक आराजी हैं तथा वादी अपीलांट द्वारा कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में महज कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार सृजित होने या ऐसे अधिकारों की घोषणा करने का कानूनन कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं। साथ ही वादी अपीलांट द्वारा प्रकरण में वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श 1 खसरा परिवर्तनशील संवत 2035 एवं प्रदर्श 2 खसरा परिवर्तनशील संवत 2054 प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है कि वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात संवत 2020 से वादी के कब्जे काश्त में होने के दावे के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसी प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा अनुसार वादग्रस्त आराजीयात नगर परिषद पाली की नगरीय सीमा में स्थित है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। साथ ही कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार की मांग नहीं की जा सकती। इस संबंध में पृथक से कृषि भूमि आवंटन व नियमन संबंधी नियम 1970 प्रवृत्त में हैं तथा प्रार्थी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नियमानुसार चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत महज कब्जे के आधार पर नगरीय सीमा में स्थित राजकीय सिवायचक भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता है एवं न ही ऐसा अनुतोष उक्त धारा के अंतर्गत प्रदान किये जाने का कोई विधिक प्रावधान है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 व 2 को वादी द्वारा बखूबी साबित नहीं कर पाने से वादी के विरूद्ध निर्णित करने में कानूनन कोई त्रुटि नहीं की हैं तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 52/1998 बअनवान दलीया बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.2005 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली